न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -18/2022

अनवान

1. छीतर पुत्र नाथु, जाति पिंजारा (मुसलमान), आयु बालिग, निवासी बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
2. ब्द्रीलाल पिता श्री गोपीलाल, जाति मीणा, आयु बालिग, निवासी बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गंगाबाई पत्नी देवीलाल, जाति तेली, , आयु बालिग, निवासी बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मीचंद पिता कंवरलाल, जाति कुम्हार (प्रजापति), आयु बालिग, निवासी बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. शान्तिलाल पिता कंवरलाल, जाति कुम्हार (प्रजापति), आयु बालिग, निवासी बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गुलाब बाई पत्नी कंवरलाल, जाति कुम्हार (प्रजापति), आयु बालिग, निवासी बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री बलवीर सिंह अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण 1 से 3 एकतरफा कार्यवाही व 04 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 01.10.2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बड़ौदिया, प0ह0 बड़ौदिया, भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-77 की खाता संख्या 63, खसरा संख्या 80 रकबा 2.32 हेक्टर, लगान 13.92 रूपये जो प्रार्थी संख्या 01 छीतर व सह खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार ग्राम बड़ौदिया के खाता संख्या 131, खसरा संख्या 100, रकबा 1.74 हेक्टर, लगानी 8.70 रूपये जो प्रार्थी संख्या 02 बद्रीलाल व सह खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, इसी प्रकार ग्राम बड़ौदिया का एक और खाता संख्या 36, खसरा संख्या 101 रकबा 1.34 हेक्टर जो प्रार्थी संख्या 03 गंगा बाई के खाते दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त सभी आराजीयात एक दूसरे से लगती हुई है। उक्त कृषि आराजी संख्या 80, 100 व 101 में आने-जाने का रास्ता पूर्व में खसरा संख्या 99 से होकर आते जाते थे, लेकिन खसरा संख्या 99 के खातेदार द्वारा उक्त आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसके चलते प्रार्थीगण के पास अ[illegible] आने-जाने का सुगम रास्ता नहीं रहा है तथा आने-जाने के रास्ते को लेकर पडोसी काश[illegible] से [illegible] होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खेत पर आने-जाने का सुगम व [illegible] में से व खसरा संख्या 79 विपक्षीगण गुलाब बाई पत्नी स[illegible] लाल व शान्तिलाल पुत्र कंवरलाल के खातेदार की आराजी की मेढ़ पर से होकर लेना चाहते है। उप[illegible] वर्णित कृषि आराजी संख्या 80, 100 व 101 पर आने-जाने के लिए आम रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम नहीं है तथा अन्य पड़ोसी विपक्षीगण संख्या 01 से 03 व खसरा संख्या 99 के खातेदार आने-जाने के लिए परेशान करते है, इसलिए आराजी संख्या 78 व 79 से प्रार्थी रास्ता कायम कराना चाहता है, इसलिए हम प्रार्थी व सह खातेदारान के कृषि आराजियात पर आने-जाने के लिए आराजी नम्बर 78 व 79 में रास्ता कायम किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.10 13:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़)

तथा नक्शें में भी तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने के लिए तैयार है। इसलिए यह प्रार्थना-पत्र धारा 251 (क) रा.टि. एक्ट में पेश कर नया रास्ता कायम करने हेतु पेश कर रहा हूं। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में आराजी संख्या 80, 100 व 101 में प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने-जाने के लिए आराजी संख्या 78 व 79 में रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 03 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 08.03.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 04 पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 18.11.2022 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडौदिया प0ह0 बडौदिया के आराजी संख्या 80 रकबा 2.32है0 भूमि छितर, गनी, छोटू, नसीमा, भूली एवं सलीम पिता नाथू पिंजारा के नाम सहखातेदारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम बडौदिया प0ह0 बडौदिया की आराजी संख्या 100 कुल किता 01 कुल रकबा 1.74है0 भूमि बद्रीलाल, विनोद, संतोष बाई पिता गोपीलाल, नन्दकंवर पत्नि गोपीलाल मीणा के नाम सहखातेदारी से दर्ज रिकार्ड है व आराजी संख्या 101 रकबा 1.34है0 भूमि गंगाबाई पत्नि देवीलाल सहखातेदारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 80, 100, 101 में जाने के लिए बिलानाम भूमि आराजी संख्या 83 से होकर आराजी संख्या 99 की पूर्वी मेर पर होकर विगत कई वर्षो से आते जाते थे। करीब एक वर्ष से आराजी संख्या 99 के खातेदार द्वारा तार बाड लगाकर उक्त रास्ता को बन्द कर दिया है। आराजी संख्या 83 से होकर आराजी संख्या 99 के दक्षिण पूर्वी कोने तक रास्ता खुला हुआ है। प्राथीगणों को खेतों मे जाने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। प्राथीगणों को सीधा खेत पर जाने हेतु रास्ता आराजी संख्या 78 (चारागाह) एवं आराजी संख्या 79 जिसके खातेदार लक्ष्मीचंद, शान्तिलाल, घीसीबाई पिता कंवरलाल गुलाबाई पत्नि कंवरलाल कुम्हार सहखातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण अपने खेतो पर जाने हेतु रास्ता आराजी संख्या 79 व 99 दोनो से होकर जाने चाहते है आराजी संख्या 79 व 99 के खातेदारो ने रास्ता देने से इन्कार कर दिया। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 393356 रू प्रति है0 एवं चारागाह डीएलसी 329569 रू प्रति हैक्टयर जो क्रमश 39.33 व 32.95 रू प्रति वर्गमीटर है प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 992 वर्गमीटर है। जिसमें से 40 मीटर भूमि चारागाह है। प्रचलन डीएलसी रेट के हिसाब से 952X 39.3= 37442.16 रू बनती है व चारागाह भूमि 40X 32.95= 1318 रू बनती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ता किस्म चारागाह में से होकर गुजरता है। किस्म चारागाह प्रतिबंधित श्रेणीयों के अन्तर्गत आने से रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित नही होता है। पुनः पेरोकार सरकार को अन्य वैकल्पिक मार्ग हेतु लिखा गया। पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 30.08.2024 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पेरोकार सरकार अनुसार पुर्व में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने का निवेदन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम बड़ौदिया, प0ह0 बड़ौदिया, भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-77 [illegible] 80 रकबा 2.32 हेक्टर व खाता संख्या 131, खसरा संख्या 100, रकबा 1.74 हेक[illegible] संख्या 36, खसरा संख्या 101 रकबा 1.34 हेक्टर भूमि में आने जाने हेतु [illegible] प्रस्तावित है, उक्त भूमि की किस्म चारागाह प्रतिबंधित श्रेणियों के [illegible] जाना उचित नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-251(क) का स्वीकार योग्य नही पाए जाने से [illegible]रीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.10 13:08:47 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा